दिनांक–29.1.2026 को अपर मुख्य सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गन्ना यंत्रिकरण योजना 2025–26 की समीक्षा हेतु के VC के माध्यम से आयोजित बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :– श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, संयुक्त निदेशक/श्री राजीव रंजन, अवर सचिव/श्री गौतम कुमार पटेल, सहायक निदेशक (शष्य), मु०/श्रीमती रक्षा शर्मा, डाटा एनालिस्ट/VC के द्वारा सभी सहायक निदेशक, ईख विकास, महाप्रबंधक/कार्यपालक अध्यक्ष/सभी यंत्र निर्माताओं एवं डीलरों।

1. बैठक में गन्ना यंत्रिकरण योजना 2025–26 के कार्यान्वयन से संबंधित प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत की गई तथा उपस्थित पदाधिकारियों/मिल के महाप्रबंधक/कार्यपालक अध्यक्ष, यंत्र के निर्माता एवं डीलरों से यंत्रिकरण योजना के कार्यान्वयन में आ रही समस्याओं पर समीक्षा की गई।
2. योजना के अंतर्गत जिन किसानों का यंत्र का परमिट निर्गत हुआ है, उन किसानों का शत प्रतिशत यंत्र का क्रय अभी तक नहीं हुआ है, जिसके कारण योजना की प्रगति काफी धीमी गति से चल रही है।
3. समीक्षा बैठक में सर्वप्रथम क्षेत्र के सहायक निदेशक, ईख विकास से अपर मुख्य सचिव ने यंत्र के निर्गत परमिट के 30 प्रतिशत से भी कम किसानों द्वारा क्रय होने का कारण पूछा और यंत्र के भौतिक सत्यापन के उपरांत किसानों के खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से 03 दिन के अंदर अनुदान की राशि भुगतान करने का निदेश दिया।
4. बैठक के क्रम में अपर मुख्य सचिव ने एक–एक कर मिल के महाप्रबंधक/कार्यपालक अध्यक्ष से वार्ता की और उनसे यंत्रिकरण योजना अंतर्गत निर्गत परमिट पर किसानों द्वारा शत प्रतिशत यंत्र क्रय नहीं होने का कारण पूछा और इसकी समीक्षा की गई।
5. इस बैठक के क्रम में VC के माध्यम से जुड़े सभी गन्ना यंत्र के डीलरों एवं निर्मातों से अपर मुख्य सचिव ने एक–एक कर वार्ता एवं योजना में यंत्रों को किसानों द्वारा क्रय कराने तथा सभी जिलों में यंत्रों को ससमय किसानों तक पहुँचाने के साथ ही यंत्रों का सही मूल्य निर्धारण पर भी बात की गई।

6. समीक्षा के क्रम में निम्न निदेश दिया गया :–

i) क्षेत्र में कार्यरत सभी सहायक निदेशक, ईख विकास को योजना अंतर्गत विभिन्न यंत्रों का निर्गत परमिट का शत–प्रतिशत कैम्प लगाकर 15 दिनों के अंदर निष्पादन करने का निदेश दिया गया। 15 दिनों के उपरांत इसकी समीक्षा की जाएगी।

ii) सभी चीनी मिल द्वारा किसान को यंत्र क्रय करने में लोन या बैंक फाइनेंस की मदद की जाय।

iii) यंत्र के डीलरों/निर्माताओं को ससमय एवं सही मूल्य पर किसानों को यंत्र उपलब्ध कराने एवं लोन या बैंक फाइनेंस की सुविधा दी जाय।

iv) जिला में गन्ना किसानों का समूह बनाकर यंत्र का क्रय कराऐ जाने की बात की गई, और सभी सहायक निदेशक, ईख विकास, एवं मिल के महाप्रबंधक/कार्यपालक अध्यक्ष को किसान समूह/Cluster बनाने का निदेश दिया।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

5/2/2026

(के० सेंथिल कुमार)
अपर मुख्य सचिव,
गन्ना उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–01/विकास–यो०–231/2025 248 पटना, दिनांक– 05 फरवरी, 2026

प्रतिलिपिः– मुख्यालय के संबंधित सभी पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, ईख विकास/सभी डीलरों एवं निर्माताओं/सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/2/2026

अपर मुख्य सचिव,
गन्ना उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–01/विकास–यो०–231/2025 248 पटना, दिनांक– 05 फरवरी, 2026

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

5/2/2026

अपर मुख्य सचिव,
गन्ना उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।